

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

(आयकर)

का.आ. 2756(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 120 की उप-धारा (1), (2), और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 2014 की अधिसूचना संख्या 50, का. आ. 2752(अ), दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिसूचना से संदर्भित किया गया है) के संदर्भ में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा, निर्देश देता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय ई-एसेसमेंट सेंटर (एतश्मिन पश्चात जिसे एनईएसी से संदर्भित किया गया है), जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के (3) में उल्लिखित है, में उल्लिखित आयकर प्राधिकारी कालम (4) में उल्लिखित भू-क्षेत्रों से संबन्धित 'फेसलेस असेसमेंट' की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिये कालम (5) में उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी के लिये और उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 के कालम (6) में उल्लिखित मामलों या मामलों की श्रेणी के लिये, अपने समवर्ती निर्धारण अधिकारियों की शक्तियों का उपयोग और उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे;

“अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारी	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)
1	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एनईएसी), दिल्ली	दिल्ली
2	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय- प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एनईएसी), दिल्ली.	दिल्ली
3	आयकर आयुक्त (एनईएसी)-1, दिल्ली	दिल्ली
4	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय- आयकर आयुक्त (एनईएसी)-1, दिल्ली	दिल्ली
5	अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (एनईएसी)-1(1), दिल्ली.	दिल्ली
6	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-1(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
7	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-1(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
8	अपर/ संयुक्त आयकर आयुक्त (एनईएसी)-1(2), दिल्ली.	दिल्ली
9	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-1(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
10	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-1(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली
11	आयकर आयुक्त (एनईएसी)-2, दिल्ली	दिल्ली
12	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय- आयकर आयुक्त (एनईएसी)-2, दिल्ली	दिल्ली
13	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एनईएसी)-2(1), दिल्ली.	दिल्ली
14	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-2(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
15	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-2(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
16	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एनईएसी)-2(2), दिल्ली.	दिल्ली
17	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-2(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
18	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-2(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली
19	आयकर आयुक्त (एनईएसी)-3, दिल्ली	दिल्ली
20	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय- आयकर आयुक्त (एनईएसी)-3, दिल्ली	दिल्ली

21	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एनईएसी)-3(1), दिल्ली.	दिल्ली
22	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-3(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
23	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-3(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
24	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एनईएसी)-3(2), दिल्ली.	दिल्ली
25	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-3(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
26	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-3(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली
27	आयकर आयुक्त (एनईएसी)-4, दिल्ली	दिल्ली
28	आयकर अधिकारी (मुख्या.), कार्यालय- आयकर आयुक्त (एनईएसी)-4, दिल्ली	दिल्ली
29	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एनईएसी)-4(1), दिल्ली.	दिल्ली
30	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-4(1)(1), दिल्ली.	दिल्ली
31	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-4(1)(2), दिल्ली.	दिल्ली
32	अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त (एनईएसी)-4(2), दिल्ली.	दिल्ली
33	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-4(2)(1), दिल्ली.	दिल्ली
34	उप/ सहायक आयकर आयुक्त (एनईएसी)-4(2)(2), दिल्ली.	दिल्ली”

2. यह अधिसूचना 13 अगस्त, 2020 से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 64/2020/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-1]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक